संख्या-82/2021/350/23-9-2021-27नाबार्ड(सेतु)/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-26 योजनान्तर्गत 01 सेतु परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-848/नदी सेतु/नाबार्ड/बी0एम0सी0/2020, दिनांक 03.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ-26 योजनान्तर्गत संलग्न सूची में वर्णित जनपद बाराबंकी के 01 ग्रामीण सेतु (जनपद बाराबंकी में विधान सभा क्षेत्र रामनगर के ब्लाक सूरतगंज ककरहा घाट के पास सिबली नदी पर सेतु निर्माण), पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य सहित, कुल लागत 14,55,04,000/-(रूपये चौदह करोड़ पचपन लाख चार हजार मात्र) **(जिसमें नाबार्ड द्वारा अनुमोदित धनराशि में प्रस्तावित सेतुओं की मूल लागत पर इनबिल्ट चार्ज, कन्टीजेन्सी, जी0एस0टी0, लेबर सेस, सेन्टेज चार्ज एवं भूमि अध्याप्ति की धनराशि सम्मिलित है)**, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-19 के अनुसार रू0 2,91,01,000/-(रूपये दो करोड़ इक्यानबे लाख एक हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 229.29 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 61.72 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) परियोजना की लागत का अधिष्ठान व्यय चालू वित्तीय वर्ष में लेखा शीर्षक1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-05-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में एक प्रतिशत लेवर सेस आंकलित किया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि वह उपकर श्रम विभाग को वास्तविक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायगी।

(4) परियोजना को 02 वर्ष में पूर्ण करा लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी । कार्य एवं फंडिग की डुप्लीकेसी न हो, यह भी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) प्रश्नगत परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-831/23-1-10(रिट)/10, दिनांक 20.04.10 के अनुपालन में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त अपेक्षित अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई है।

(8) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी।

(9) भूमि की अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) सेतु निर्माण में एबटमेन्ट व उससे एडज्वायनिंग स्पान में डेक स्तर तक का कार्य प्राथमिकता पर किया जाय एवं पहुंच मार्ग का कार्य भी सेतु निर्माण के साथ साथ सम्पादित किया जाय। पहुंच मार्ग वसेतु पर आवश्यकतानुसार रोड सेफ्टी के कार्य भी कराये जायें।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(13) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(15) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

(16) प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

(17) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह के आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

क्रमश:....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-36-प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-00-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-21-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-775/दस-2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- /2021/350/23-9-2021-27नाबार्ड(सेतु)/2020, दिनांक मार्च, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	सेतु की लम्बाई (0मी)	नाबार्ड को प्रेषित लागत)सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	इनबिल्ट चार्ज लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	कन्टीजेन्सी (कॉलम 5+6 का 1 प्रतिशत)	जी0एस0टी0 (कॉलम 5+6+7 का 12 प्रतिशत)	लेबर सेस) (कॉलम-5+6+7 का 1 प्रतिशत)	सेन्टेज (कॉलम-5+6+7 का 12. 50 प्रतिशत)	भूमि अध्याप्ति	योग (सेतु, पहुंच मार्ग भूमि अध्याप्ति सहित) कॉ)लम-5 से 11 तक का योग)	प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति	इन-इलीजीबिल कॉस्ट	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश (कॉलम 13-15)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि		
																अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में विधान सभा क्षेत्र रामनगर के ब्लाक सूरतगंज-ककरहा घाट के पास सिबली नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	90.23	569.53	68.35	6.38	77.31	6.44	80.53	0.00	808.54	1455.04	35.00	1136.03	319.01	229.29	61.72	291.01
				282.59	33.91	3.16	38.36	3.20	39.96	245.32	646.50							
			योग-	852.12	102.26	9.54	115.67	9.64	120.49	245.32	1455.04							

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।